

# भागलपुर समाहरणालय

(जिला सामान्य शाखा)

## आदेश

संचिका संख्या-14-01/2020 के टिप्पणी पृ0 08 से 09 पर जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-25.10.2021 के आलोक में वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी/मृत होने के स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी के अनुरोध पर उनके नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(3) (d) (21) (1) एवं आयुध नियम-2016 की धारा 47 (1) तथा The Arms Rules 1959 के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए उनपर धारित शस्त्र को संबंधित थाना के शस्त्रागार/अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिसका विवरणी निम्नवत है :-


क्र०	शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का नाम एवं पता	शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी / आवेदनकर्ता नाम एवं संबंध	अनुज्ञप्ति सं०	शस्त्र का प्रकार/संख्या	क्षेत्र की वैधता	अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति	यू0आई0एन0 नं0
1	ध्रुव नारायण प्रसाद, पिता-माधो लाल मंडल, सा0-जमगाँव, थाना-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर।	पत्नी	288- 8/2002	<u>Rifle</u> <u>1331</u>	बिहार राज्य	मृत	<b>051460009781142015</b>
2	श्री परमानंद चौधरी, पिता-स्व0 अवधेश प्रसाद चौधरी, सा0-मौजमावाद, थाना-बिहपुर, जिला-भागलपुर।	पुत्र	277- 01/1981	<u>DBBL</u> <u>10814</u>	बिहार राज्य	मृत	<b>051460010003652015</b>
3	हवलदार समसूल हक, पे0-स्व0 शेख शहागिल, सा0-मिर्जापुर, थाना-मुस्फिल, जिला-भागलपुर। वर्तमान पता-पुलिस कॉलोनी, क्वॉटर नं0-16, जिला-भागलपुर।	M/S Shiva Arms Corporation	2549- 51/2002	<u>RIFLE</u> <u>AB028639</u>	बिहार राज्य	मृत	<b>051460009775542015</b>
4	श्री दिवाकर प्रसाद मंडल, पिता-स्व0 उपेन्द्र मंडल सा0-राघोपुर थाना-साहु परबत्ता, जिला-भागलपुर।	पत्नी	256- 09/2001	<u>Rifle</u> <u>AB033627</u>	बिहार राज्य	मृत	<b>051460002596052014</b>

उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी/वैध उत्तराधिकारी को निदेश है कि पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर संबंधित शस्त्र को अपने निकटतम थाना के शस्त्रागार/अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा कर रसीद की छायाप्रति एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पर नवीकरण अद्यतन कर कार्यालय में जमा करने के साथ-साथ आयुध नियम-2016 के अनुपालन में रद्दीकरण शुल्क 500=00 (पाँच सौ) रू0 एवं डाटा डिलिटेशन शुल्क 500=00 (पाँच सौ) रू0 कुल-1000=00 (एक हजार) रू0 बैंक में चलान के माध्यम से राशि जमा कर चालान की मूल प्रति भी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि ऐलिस पोर्टल से डाटा विलोपित कर मामले को अंतिम रूप से निष्पादन किया जा सकें।

60/-  
जिला शस्त्र दंडाधिकारी,  
भागलपुर।

ज्ञापांक : 14-01/2020/.....5571/सा०, भागलपुर, दिनांक...28/10/2021

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी/वैध उत्तराधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- शस्त्र लिपिक/शस्त्र कार्यपालक सहायक को निदेश दिया जाता है कि रद्दीकरण से संबंधित सभी कागजात प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर ऐलिस पोर्टल से अनुज्ञप्ति विलोपित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी सरकारी अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डी0आई0ओ0, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले की वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ समर्पित।

  
जिला शस्त्र दंडाधिकारी,  
भागलपुर।